बीड (महाराष्ट्र) वर्ष-१ ला अंक-१८९ वा रविवार ९ फ़रवरी २०२५ RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 किमत : २ रूपये पन्ने - ४

दैनिक भारत कि
# तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

## दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल भी हारे

# प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में २७ साल बाद दिल्ली पर 'कब्जा', अल्पसंख्यकों ने भी 'झाड़ू' को नकारा

## विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार, हार के पीछे कांग्रेस का भी हाथ!

दिल्ली संवाददाता

दिल्ली । समाचार एजेंसी

लोकतंत्र के पहले से ही दिल्ली कई राजाओं का केंद्र रही है। कई शासकों ने दिल्ली पर राज करने का सपना देखा, क्योंकि दिल्ली पर कब्जा करने का मतलब पूरे देश पर शासन करने जैसा माना जाता था।

हालांकि, भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी थी, जो केंद्र में सत्ता में रहते हुए भी पिछले २७ वर्षों से दिल्ली पर 'कब्जा' नहीं कर पाई थी। भाजपा ने दिल्ली में जीतने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन २७ वर्षों तक उसे सफलता नहीं मिली।

भाजपा की ऐतिहासिक जीत

आख़िरकार, आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं, आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक नहीं बचा सके।

कांग्रेस ने डुबोई 'आप' की नैया

हालांकि, कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, आम आदमी पार्टी के पराजय में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही।

२७ साल बाद भाजपा ने दिल्ली पर 'कब्जा' किया अब, २७ साल बाद भाजपा ने आखिरकार दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। अल्पसंख्यकों ने भी 'कमल' को वोट दिया इस चुनाव में पहली बार मुस्लिम वोटों का भाजपा की ओर झुकाव देखने को मिला। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं: १. दिल्ली दंगे, २. कोरोना महामारी के दौरान तबलीगी जमात के अपमान की घटना, ३. अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति 'आप' की बेरुखी, इन कारणों से दिल्ली के अल्पसंख्यक मतदाताओं ने भी भाजपा की ओर रुख किया और आम आदमी पार्टी को पूरी तरह नकार दिया।

# प्रिय बहनों के वोट से सत्ता में आए तीन भाइयों की लाखों बहनों से गद्दारी-नाना पटोले

विशेष प्रतिनिधि । मुंबई:

मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना' के नाम पर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी (महायुती) ने राज्य की लाखों महिलाओं के साथ बड़ा धोखा किया है। लाभार्थियों को अपात्र ठहराने की कार्रवाई, इन प्रिय बहनों के साथ की गई गद्दारी है। यह तीखी आलोचना कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने की है।

सरकार ने लाडकी बहन योजना से ५ लाख महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पटोले ने कहा कि,

महायुती सरकार ने चुनाव में वोट हासिल करने के लिए सभी बहनों को १,५०० रुपये देने का वादा किया था और सत्ता में आने के बाद इस मदद को रोकने का पाप कर दिया।

हमने पहले ही कहा था कि भाजपा-शिवसेना गठबंधन चुनाव के बाद अपना असली रंग दिखाएगा, और अब वही हो रहा है।

महायुती के नेताओं ने अपनी प्रिय बहनों को सौतेला व्यवहार देना शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने लाखों माताओं और बहनों के साथ छल किया है।

किसी भी योजना को लागू करने से पहले नियम व शर्तें पहले तय की जाती हैं, लेकिन शिंदे-भाजपा सरकार ने चुनाव के लिए इन नियमों को नजरअंदाज किया और अब सत्ता मिलने के बाद बहनों को नियमों की कसौटी पर रखकर मदद रोक रहे हैं। फडणवीस चुनाव आयोग की वकालत क्यों कर रहे हैं?

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान से जुड़े घोटाले को आंकड़ों के साथ उजागर करते हुए चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे। राज्य की वयस्क जनसंख्या से अधिक मतदाता संख्या कैसे हो सकती है? बढ़े हुए मतदाताओं की सूची में फोटो, नाम और पते क्यों नहीं दिए जा रहे? शाम ५ बजे के बाद अचानक ७६ लाख वोट कैसे बढ़ गए? यह बहुत गंभीर सवाल हैं, लेकिन चुनाव आयोग इन पर जवाब देने से बच रहा है। आयोग की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। फिर इसमें देवेंद्र फडणवीस और उनके सहयोगियों को परेशानी क्यों हो रही है? क्या भाजपा ने चुनाव आयोग की वकालत करने का ठेका ले लिया है? चुनाव आयोग एक स्वायत्त (स्वतंत्र) संस्था है और निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराना उसका कर्तव्य है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए सवालों के संतोषजनक जवाब चुनाव आयोग को देने चाहिए।

## अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए इदरीस नाईकवाड़ी ने पुणे में उपमुख्यमंत्री से विशेष मुलाकात

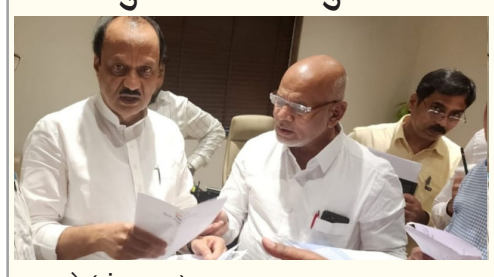

पुणे (संवाददाता):

शुक्रवार को दक्षिण महाराष्ट्र के सभी विधायकों की एक विशेष बैठक पुणे के सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार ने सभी विधायकों के कार्यो की समीक्षा की और विकास कार्यो को बिना किसी भेदभाव के प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही, अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करने की अपील की।

इस अवसर पर मिरज के विधायक इदरीस नाईकवाड़ी ने उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार को एक विशेष ज्ञापन सौंपा, जिसमें अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आपकी सरकार को गंभीरता से देखते हैं और आशा करते हैं कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल किया जाएगा।

इदरीस नाईकवाड़ी की प्रमुख मांगें: उर्दू अकादमी को सशक्त बनाना। हज हाउस की बेहतर व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करना। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना। सरकारी प्रतिनिधियों को अल्पसंख्यक मंत्री के मार्गदर्शन में इन कार्यो की निगरानी के लिए नियुक्त किया जाए। उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आश्वासन: बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इदरीस नाईकवाड़ी ने बताया कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने उनकी सभी मांगों को गंभीरता से सुना और कहा कि जल्द ही इस पर ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यकों को जल्द से जल्द राहत पहुँचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

# खोखली घोषणाएँ नहीं, अमल करें-सांसद रजनी पाटील

केज, ८ फरवरी (प्रतिनिधि):

महाराष्ट्र में राज्य सरकार और केंद्र सरकार केवल किसानों के हितैषी होने का दिखावा कर रही हैं, लेकिन हकीकत में किसानों को सिर्फ खोखली घोषणाएँ दी जा रही हैं। यह कटु सत्य कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद रजनी पाटील ने राज्यसभा में व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि आज महाराष्ट्र में किसानों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। सोयाबीन के लिए प्रति क्विंटल ६,००० से ७,००० रुपये का भाव देने की बात कहकर चुनावों में वोट मांगे गए लेकिन आज जब सोयाबीन ३,८०० से ४,००० रुपये प्रति क्विंटल बेचा जा रहा है, तब सरकार क्या कर रही है? अगर किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य (चडझ) का क्या मतलब?

पीएम फसल बीमा योजना पर सवाल

उन्होंने कहा कि १ रुपये में फसल बीमा देना अच्छी बात है, लेकिन जब बीमा की राशि ही किसानों को नहीं दी जा रही, तो यह योजना किस काम की? उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में ५०० करोड़ रुपये का घोटाला इस फसल बीमा योजना में हुआ है, और यह खुलासा खुद भाजपा के एक विधायक ने किया है।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह योजना किसानों के लिए लाई गई थी या फिर सरकार के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए?

MahaDBT पोर्टल पर भी उठाए सवाल

चरहरऊढ जैसे पोर्टल पर सिर्फ योजनाओं की पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इनका लाभ कितना मिल रहा है और कब मिलेगा, इसका कोई जवाब नहीं है।

किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल अब तक अनुत्तरित हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (□ख) पर तंज

सरकार कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (□ख) का उपयोग करने की घोषणाएँ कर रही है।

लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा बन गया है, और

यहाँ सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी निरीक्षण किया गया।इस समय विधायक संदीप क्षीरसागर, सय्यद सलीम , खुर्शीद आलम व अन्य।

# मौलाना आज़ाद महामंडल के शैक्षणिक कर्ज में जमानत की शर्त ख़त्म की जाए।

## म अ आ वि म के संचालक शेख तय्यब कि अल्पसंख्यक मंत्री भरणे मामा से चर्चा

मुंबई (संवाददाता):

राज्य सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न महामंडलों का उद्देश्य समाज के आम नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है। लेकिन कई बार कठोर शर्तों के कारण यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने में भी ऐसी ही एक बड़ी अड़चन आ रही है।

ऋण के लिए संपत्ति धारक और नौकरी पेशा व्यक्ति को जमानती बनाना अनिवार्य किया गया है, जिससे अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए महामंडल के संचालक और 'बीड़ रिपोर्टर' समाचार पत्र के संपादक शेख तैयब ने इस शर्त को समाप्त करने की मांग की है।

उन्होंने इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक मंत्री दत्तात्रेय भरणे मामा, अध्यक्ष मुश्ताक अंतुले, सचिव रुचेश जयवंशी, उपसचिव विशाखा आढाव और प्रबंध निदेशक जी.पी. मकदूम से चर्चा की और विद्यार्थियों की समस्याओं को विस्तार से समझाया। इसके साथ ही औपचारिक रूप से एक ज्ञापन सौंपकर इस शर्त को समाप्त करने की मांग की।

शेख तैयब द्वारा की गई पहल:

महामंडल के संचालक शेख तैयब पिछले चार महीनों से सक्रिय रूप से इस मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पहले मराठवाड़ा, फिर विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र और खानदेश का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महामंडल के विभिन्न कार्यालयों का दौरा किया, वहां की समस्याओं को समझा और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए।

इस दौरे के दौरान, अल्पसंख्यक समाज के छात्रों ने शेख तैयब को शैक्षणिक ऋण से जुड़ी परेशानियों से अवगत कराया।

जब कोई अल्पसंख्यक छात्र शैक्षणिक ऋण के लिए आवेदन करता है, तो उसे दो जमानती देने होते हैं।

एक जमानती ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास संपत्ति हो। दूसरा जमानती नौकरी पेशा व्यक्ति होना चाहिए।

लेकिन गरीब और ज़रूरतमंद छात्रों को ये दोनों जमानती नहीं मिल पाते, क्योंकि उनके परिवार के पास संपत्ति नहीं होती और इस कारण वे शैक्षणिक ऋण से वंचित रह जाते हैं। परिणामस्वरूप, योग्य और प्रतिभाशाली छात्र सिर्फ आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। इस गंभीर समस्या को समझते हुए, शेख तैयब ने अल्पसंख्यक मंत्री दत्तात्रेय भरणे मामा और मुश्ताक अंतुले से सीधे मुलाकात कर इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक ऋण के लिए संपत्ति धारक और नौकरी पेशा व्यक्ति की जमानत की शर्त को खत्म किया जाए, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें।

ज्ञापन सौंपकर की गई मांग: शेख तैयब ने इस मांग को लेकर एक औपचारिक ज्ञापन भी सौंपा। इसमें उन्होंने सचिव रुचेश जयवंशी, उपसचिव विशाखा आढाव और प्रबंध निदेशक जी.पी. मकदूम से भी इस विषय पर चर्चा की और इस शर्त को हटाने की मांग की। सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया: अल्पसंख्यक मंत्री और महामंडल के अधिकारियों ने इस ज्ञापन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए आश्वासन दिया कि इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

निष्कर्ष: शेख तैयब की इस पहल से अल्पसंख्यक समाज के छात्रों के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त करना आसान हो सकता है। यदि यह शर्त हटा दी जाती है, तो आर्थिक रूप से कमजोर, लेकिन प्रतिभाशाली छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और अपने भविष्य को संवार सकेंगे।

# उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

# रसूल सल.स.फरमाया: शाबान की अज़मत और बुज़ुर्गी दूसरे महीनों पर उसी तरह है, जिस तरह मुझे तमाम अंबिया पर अज़मत और फ़ज़ीलत हासिल है।

## मौलाना हाफ़िज़ पीर शब्बीर अहमद, सदर जमीयत उलेमा तेलंगाना का बयान।

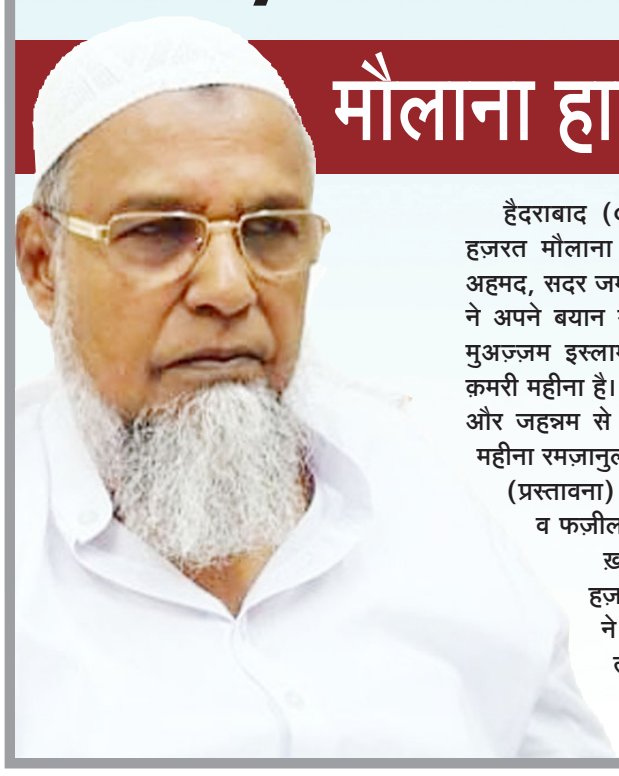



हैदराबाद (०८ फरवरी २०२५): हज़रत मौलाना हाफ़िज़ पीर शब्बीर अहमद, सदर जमीयत उलेमा तेलंगाना ने अपने बयान में कहा कि शाबानुल मुअज़्ज़म इस्लामी साल का आठवां क़मरी महीना है। यह रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का बबरकत महीना रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दमा (प्रस्तावना) है और बेहद अज़मत व फ़ज़ीलत वाला महीना है।

ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफा ﷺ ने इस महीने को अपनी तरफ़ मंसूब किया है। आपने फरमाया: शाबानु शहरि यानी शाबान मेरा महीना है।

रसूल अल्लाहने फरमाया: शाबान की अज़मत और बुज़ुर्गी दूसरे महीनों पर उसी तरह है, जिस तरह मुझे तमाम अंबिया पर अज़मत और फज़ीलत हासिल है।आप ﷺ ने फरमाया: जब शाबान का महीना आए तो अपने नफ़्स को रमज़ान के लिए पाक कर लो।

हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायत है कि आपने फरमाया: शाबान को शाबान कहने की वजह यह है कि रमज़ान के लिए इससे खैर-ए-कसीर (बड़ी भलाई) निकलती है।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (रज़ि.) फरमाती हैं कि आपका सबसे पसंदीदा महीना शाबान था। आप इस महीने के रोज़ों को रमज़ान से मिला देते थे और मैंने किसी भी महीने में शाबान से ज़्यादा नफली रोज़े रखते हुए आपको नहीं देखा।

कुछ रिवायतों में आता है कि जब आप ﷺ से नफली रोज़ों के बारे में पूछा गया तो रहमत-ए-आलम ﷺ ने फरमाया: रमज़ान की ताज़ीम (इज़्ज़त) के लिए शाबान के रोज़े रखना।

हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ﷺ कभी नफली रोज़े लगातार रखते, यहां तक कि हमें लगता कि अब कोई नग़ा नहीं करेंगे। और कभी आप लगातार बिना रोज़े के रहते, यहां तक कि हमें लगता कि अब आप रोज़ा नहीं रखेंगे।

शाबान के रोज़ों की हिकमतें (बुद्धिमत्ता)

उलमा-ए-किराम ने शाबान के महीने में आप ﷺ के कसरत से रोज़े रखने की कई हिकमतें बयान की हैं:

इस महीने अल्लाह तआला के दरबार में बंदों के आमाल (कर्म) पेश किए जाते हैं।

रमज़ान के करीब होने और उसके ख़ास अनवार (नूर) और बरकतों से मनासिबत (संबंध) पैदा करने के शौक़ में आप इस महीने में ज्यादा रोज़े रखते थे। जिस तरह फर्ज़ नमाज़ों से पहले सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, उसी तरह फर्ज़ रोज़ों से पहले नफली रोज़े रखते थे।

जिस तरह फर्ज़ के बाद सुन्नत और नफलें पढ़ते थे, उसी तरह रमज़ान के बाद शवाल में छह रोज़े रखते थे और इसकी तरग़ीब भी देते थे।

हज़रत पीरान-ए-पीर अब्दुल क़ादिर जीलानी (रह.) फरमाते हैं:

शाबान में पांच हरूफ़ (अक्षर) हैं: शीन का मतलब शरफ़ (इज़्ज़त) से है। अ'इन का मतलब अलू (बुलंदी) से है। बा का मतलब भलाई से है। अलिफ़ का मतलब उल्फ़त (मुहब्बत) से है। नून का मतलब नूर-ए-इलाही (अल्लाह का नूर) से है। अल्लाह तआला अपने नेक बंदों को इस महीने में यह पांच चीज़ें अता फरमाता है। अल्लाह तआला हमें शाबान की बरकतों से मालामाल फरमाए। आमीन।

# निशात गर्ल्स हाई स्कूल प्रशासन की आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, सलाम चाचा रोड से सटी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप



मालेगांव (ख़याल असर):

निशात एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर सोसायटी के अंतर्गत संचालित निशात गर्ल्स प्राइमरी और हाई स्कूल पिछले तीन दशकों से शिक्षा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में इस स्कूल में लगभग ३,५०० से अधिक छात्राएँ पढ़ाई कर रही हैं, और यहाँ ८०% शिक्षिकाएँ मुस्लिम महिलाएँ हैं।

बीते कुछ महीनों से स्कूल प्रशासन और प्रबंधन एक भूमि विवाद से जूझ रहा है, जो स्कूल परिसर से सटे उत्तर दिशा की जमीन (जो सलाम चाचा रोड की ओर स्थित है) से संबंधित है। यह जमीन नासिक जिले, मालेगांव तहसील की नगर पालिका सीमा में आती है और सर्वे नंबर ६२ (नया सर्वे नंबर ६२/४) के तहत दर्ज है। इस भूमि का कुल क्षेत्रफल २,३०५.९० वर्ग मीटर (२४,८११.४८ वर्ग फुट) है, जहाँ निशात गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल (पंजीकरण नंबर च-क/२४४५/छ्ड्घ) स्थित है।

यह भूमि निशात एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर सोसायटी के अधीन है, जिसे सोसायटी ने पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत खरीदा था। खरीद दस्तावेज़ संख्या १२०९/१९९४ के अनुसार, यह जमीन सोसायटी की कानूनी संपत्ति है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान

इस संदर्भ में स्कूल प्रशासन द्वारा एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें निशात एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष आरिफ मोहम्मद अब्बास, सचिव हनीफ गुलजार, जमीला अहमद मुश्ताक, रईस अहमद मुश्ताक, अशफाक अय्यूबी, सुफ़ियान अहमद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि प्रमोद प्रसाद भावसार (निवासी भावसार गली, मालेगांव) और अन्य भू-माफिया इस जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन इस ज़मीन को बचाने और अवैध कब्जे को रोकने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई कर रहा है।

भूमि विवाद की पृष्ठभूमि

२७ अक्टूबर १९९३ को निशात एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर सोसायटी ने यह भूमि कानूनी रूप से खरीदी थी, जिसके दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। इस भूमि को नासिक के सहायक कलेक्टर और मुंबई सोशल डेवलपमेंट एक्ट, १९५० की धारा २९ के तहत अधिकृत रूप से स्वीकृत किया गया था।

१९९३ से इस जमीन पर नर्सरी से हाई स्कूल (जूनियर केजी से १०वीं कक्षा तक) शिक्षा दी जा रही है।

स्कूल का उद्देश्य केवल शिक्षा का प्रसार करना है और यह मालेगांव के शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जे की कोशिश

स्कूल प्रशासन ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति से यह जमीन खरीदी गई थी, उसके वारिस प्रमोद भावसार ने २०१२ में (खरीद के लगभग २५ साल बाद) गैर-कानूनी तरीके से अपना नाम इस जमीन पर दर्ज करवा लिया।

अब प्रमोद भावसार और भू-माफिया मिलकर इस भूमि पर कब्जा करने और जमीन की प्रकृति बदलने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल परिसर से सटी सड़क पर भी अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है।

स्कूल प्रशासन की कानूनी लड़ाई

यह मामला प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

अगर इस जमीन पर अवैध निर्माण या कोई अन्य गतिविधि की गई तो इससे न केवल शिक्षा प्रणाली बाधित होगी, बल्कि ३,५०० से अधिक छात्राओं का भविष्य भी प्रभावित होगा।

स्कूल प्रशासन ने इस भूमि विवाद को लेकर जनता को जागरूक रहने और किसी भी फर्जी दस्तावेज़ पर विश्वास न करने की अपील की है।

कानूनी शिकायत दर्ज कराई गई

इस विवाद को लेकर निम्नलिखित विभागों में शिकायत दर्ज कराई गई है: पुलिस अधीक्षक, नासिक ग्रामीण, नासिक सहायक पुलिस अधीक्षक, मालेगांव शहर, जिला नासिक उप-पुलिस अधीक्षक, मालेगांव शहर, जिला नासिक नासिक भूमि अभिलेख कार्यालय, महाराष्ट्र इसके अलावा, प्रमोद भावसार के पास इस भूमि पर कब्जा करने के लिए किसी भी सरकारी विभाग, प्रशासनिक आदेश या कोर्ट का कोई दस्तावेज नहीं है।

स्कूल प्रशासन की अपील स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों, स्थानीय नागरिकों और समाज के जागरूक लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और शिक्षा के प्रसार में स्कूल का समर्थन करें।

# परळी में बनेगा पशु चिकित्सा महाविद्यालय

## मंत्री पंकजा मुंडे आज करेंगी स्थल निरीक्षण



बीड़, ८ फरवरी (प्रतिनिधि):

राज्य की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा पशुपालन मंत्री पंकजा मुंडे ने परळी में एक सरकारी पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के आदेश पशुपालन विभाग को दिए हैं। महाविद्यालय के लिए आवश्यक भूमि का निरीक्षण करने के लिए पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कल परळी पहुंच रही है। इससे इस कार्य में जल्द ही गति आएगी।

हाल ही में बारामती में आयोजित एक कार्यक्रम में पंकजा मुंडे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की उपस्थिति में परळी वैजनाथ और बारामती में दो नए सरकारी पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी।

निरीक्षण समिति का गठन:

इन दोनों स्थानों पर महाविद्यालय स्थापित करने के लिए मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के मानकों के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर विश्वविद्यालय स्तरीय निरीक्षण समिति गठित की गई है।

इस समिति के अध्यक्ष तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के डीन डॉ. एस.वी. उपाध्याय के साथ डॉ. जी.एस. खांडेकर, कनिष्ठ अभियंता डॉ. पी.वी. तायडे, तकनीकी अधिकारी डॉ. पी.ई. ताकसांडे रविवार को स्थल निरीक्षण के लिए परळी पहुंचेंगे।

इस दौरान बीड़ के जिलाधिकारी अविनाश पाठक और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

इस महाविद्यालय की स्थापना से पशुपालन क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा व सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

# पुरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट बदलना अनिवार्य

## १ अप्रैल २०१९ से पहले की गाड़ियों में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना ज़रूरी

मुंबई, ८ फरवरी (अज़ीज़ एजाज):

राज्य सरकार ने १ अप्रैल २०१९ से पहले रजिस्टर की गई पुरानी गाड़ियों पर हाई□सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (क्ह्ठझ) लगाना अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में केंद्रीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपनी गाड़ियों पर हाई□सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अनिवार्यता

राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि १ अप्रैल २०१९ से पहले निर्मित सभी गाड़ियों में हाई□सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना आवश्यक है। मुंबई (सेंट्रल) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में इस कार्य के लिए रियल मेसन इंडिया लिमिटेड नामक एजेंसी को नियुक्त किया गया है।

इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बुकिंग पोर्टल https://hsrpmhzone2.in शुरू किया गया है। वाहन मालिक इस पोर्टल के माध्यम से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर और नंबर प्लेट बदलवा सकते हैं। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए ६ केंद्र स्थापित

केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैपिंग नीति राज्य में लागू की जा रही है। इसके तहत पुरानी और अनुपयोगी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए महाराष्ट्र में ६ अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों को मंजूरी दी गई है।

जो वाहन मालिक अपनी गाड़ियों को स्क्रैप करना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ अधिकृत और रजिस्टर किए गए वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों के माध्यम से ही यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुरानी और अनुपयोगी गाड़ियों का निस्तारण पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाए।अगर कोई गाड़ी रजिस्टर किए गए स्क्रैपिंग केंद्र के माध्यम से स्क्रैप की जाती है, तो वाहन मालिक को नई गाड़ी खरीदने पर कुल कर (टैक्स) में १०% की छूट मिलेगी।

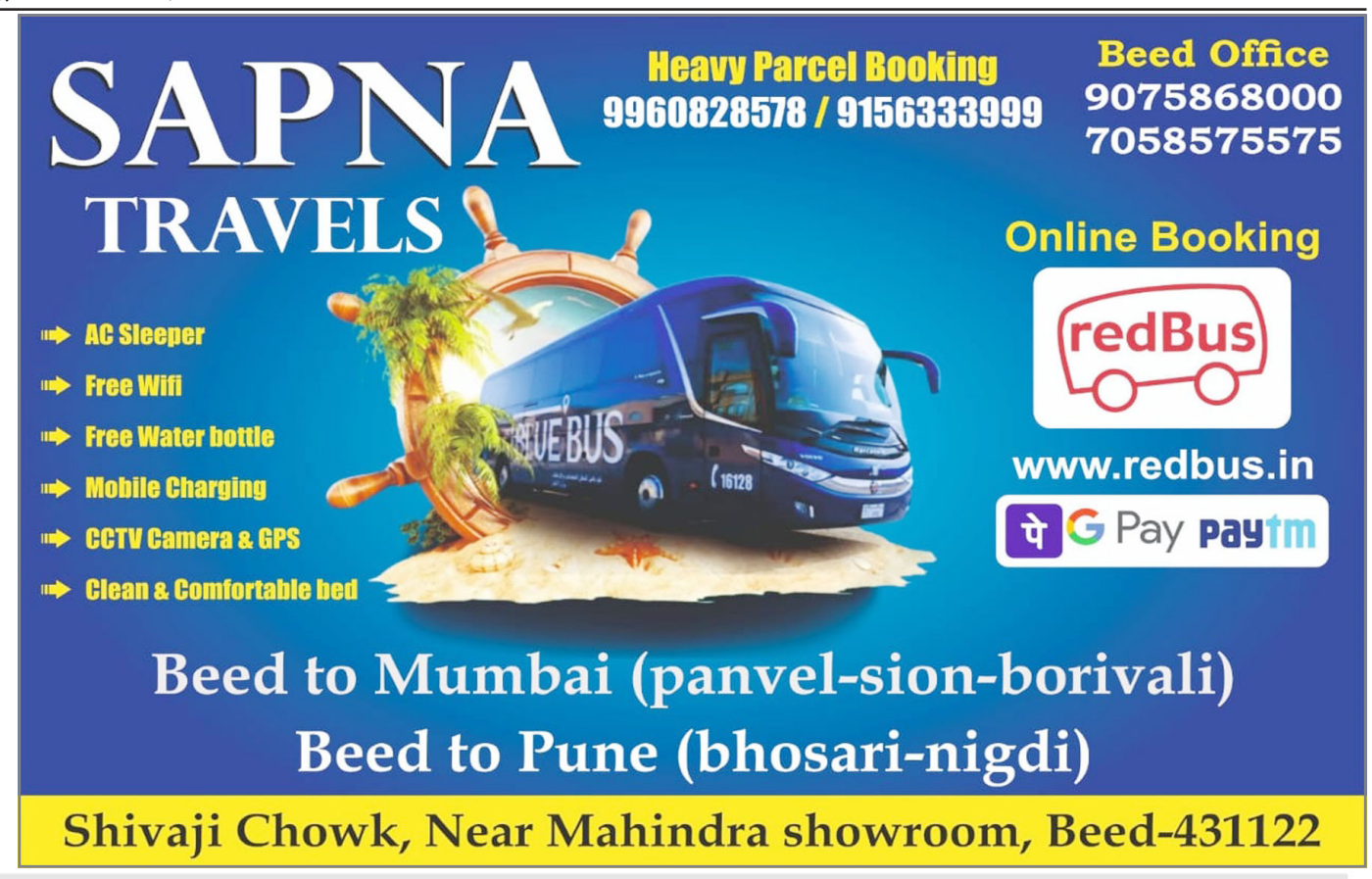




दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com